**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1109**

### दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्न

विषय : एन.एफ.डब्‍ल्‍ूा.एफ. आवासीय योजना के तहत उपलब्‍ध कराई जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि किया जाना

**1109 :** डा0 टी0 सुब्‍बारामी रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को नेशनल फिश एण्‍ड वाइल्‍डलाइफ फाउंडेशन (एन.एफ.डब्‍लू.एफ.) आवासीय योजना हेतु उपलब्‍ध कराई जाने वाली 50,000 रूपए की सहायता-राशि में वृद्धि की मांग के संबंध में राज्‍य सरकारों की ओर से कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या मजदूरी, सामग्री की लागत और मिट्टी की प्रकृति आदि के आधार पर अलग-अलग राज्‍यों में आवास निर्माण की भिन्‍न-भिन्‍न लागत आएगी;

(घ) यदि हां, तो उक्‍त सहायता राशि को बढ़ाए जाने हेतु क्‍या कार्रवाई की जा रही है;

(ड.) क्‍या मछुआरों की विधवाओं को भी यह सुविधा प्रदान किए जाने संबंधी कोई प्रस्‍ताव है; और (च) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

उत्तर

# कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा0 चरण दास महंत)

1. से (घ): राष्‍ट्रीय मत्‍स्‍य एवं वन्‍यजीव प्रतिष्‍ठान (एनएफडब्‍ल्‍यूएफ) आवास योजना नामक कोई योजना नहीं है। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना- “राष्‍ट्रीय मछुआरा कल्‍याण योजना” के अंतर्गत प्रति आवास यूनिट 50,000/- रूपए की लागत से निम्‍न लागत के आवास के निर्माण के लिए राज्‍य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। निर्माण की लागत में अंतर को ध्‍यान में न रखते हुए, जो विभिन्‍न राज्‍यों में हो सकता है, यह सहायता सभी राज्‍यों को समान रूप से प्रदानकी जाती है। कई राज्‍य सरकारों ने उक्‍त योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए 50,000/-रूपए की वर्तमान सहायता में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। आवश्‍यक अनुमोदनों के अध्‍यधीन सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता में वृद्धि करने का प्रस्‍ताव रखा है।

(ड.) और (च): विधवाओं सहित सभी सक्रिय मछुआरे उक्‍त योजना के विभिन्‍न घटकों के अंतर्गत सहायता प्राप्‍त करने के पात्र हैं।

--------